Annexure-I

FORM-I

Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Sirohi

No.F.8-1( )Development/16/1430

Dated...6-10-2016

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the environment and Forest (MoEF), Government of India's letter no. 11-9/98-FC (pt) dated 3 August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dewllers (Rcognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, read with MoEF's letter dated 5 February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **91.202 Hectares (Sirohi)** of forest land Proposed to be diverted in favour of **Water Resources Division Sirohi (name of user agency) for Battisa Nalla Irrigation Project, Deldar (Aburoad) Sirohi** (purpose for diversion of forest land) in sirohi district falls Within jurisdiction of Sirohi It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **91.202 Hectares (sirohi)** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure..C.....

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabha letter from concerned Panchayat received and given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

(L.N. MEENA)
District Collector
Sirohi
Dated..6/10/16

No.F.8-1( )Development/16/1431-32
Copy forward to:
1. Dfo Sirohi
2. Executive Engineer Water Resource Division Sirohi

(L.N. MEENA)
District Collector
Sirohi

ANNEXURE - 'A'

राजस्थान-सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, सिरोही

कमांक/विकास/2016/1379

दिनांक 30-09-2016

बैठक कार्यवाही विवरण

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 5 (3) के प्रावधानान्तर्गत गठित एवं प्रदत्त अधिकारों/कर्त्तव्यों के निर्वहन में नियम 2006 के नियम 6 एवं 14 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 26.08.2016 को जिला कलक्टर महोदय के प्रतिनिधि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, सिरोही की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति परिशिष्ठ अ अनुसार है।

बैठक में बत्तीसा नाला परियोजना ग्राम देलदर तहसील आबूरोड के निर्माण में डूब क्षैत्र, डेम लाईन एवं अन्य हेतु प्रभावित वन विभाग की भूमि में वनाधिकार के तहत आंवटित/ प्रस्तावित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 और संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति से प्राप्त कार्यवाही विवरण एवं कार्यकारी विभाग (जल संसाधन विभाग) अनुसार हकपत्रों का व्यक्ति वाईज एवं खसरा वाईज विस्तृत चर्चा की गई। विवरण अनुसार **परियोजना के डूब क्षैत्र में कोई भी हकपत्र आंवटित नही है तथा ना ही हकपत्र आंवटन हेतु प्रस्तावित है।**

अत: परियोजना जनहित में उपयोगी होने एवं अतिआवश्यक होने से जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा बत्तीसा नाला परियोजना के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 और संशोधित नियम 2012 अन्तर्गत कोई भी हकपत्र आंवटित नहीं होने तथा ना ही परियोजना के संबंध में हकपत्र प्रस्तावित होने से जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अनुसूचित जन जाति और अन्य

परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत अनापति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु सर्वसम्मति से अभिशंषा की जाती है।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

कृते जिला कलक्टर,सिरोही
28/9/16

क्रमांक/विकास/2016/1379

दिनांक 30-09-2016

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

01. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद्, सिरोही
02. प्रभारी अधिकारी,राजस्व शाखा कार्यालय हाजा
03. उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत
04. उप वन संरक्षक, सिरोही/आबूपर्वत
05. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड सिरोही

कृते जिला कलक्टर,सिरोही
28/9/16

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6(3) प्रावधान अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हेतु दिनांक 26.08.2016 को प्रातः 10.00 बजे जिला परिषद्,सिरोही पर बैठक में उपस्थित अधिकारीगणों की सूची:-

क.सं.	नाम अधिकारी	मय पद एवं विभाग	हस्ताक्षर
1	एस०आर० मीना	ACEO ZP	[signature]
2	Arvind Poswal	SDM	[signature]
3	प्रकाश चन्द	Xen WRD	[signature]
4	ललित मोहन रावीर	A.En WRD Sarupganj	[signature]
5	रघुमान सिंह	ACF Sirohi	[signature]
6	मनहर विश्नोई	BDO, आबूरोड	[signature]
7	माधाराम मीना	माधव [illegible] ABR	[signature] 26/8/16
8	आत्माराम गरासिया	जिला प० सदस्य	[signature]
9			
10			
11			
12			

ANNEXURE - B

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत जिला–सिरोही

बैठक कार्यवाही विवरण

अनूसुचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 की धारा 6 (3) के प्रावधानान्तर्गत गठित एवं प्रदत्त अधिकारों/कर्त्तव्यों के निर्वहन में नियम 2008 के नियम 6 एंव 14 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 12.08.2016 दोपहर : 2.00 बजे श्रीमान अरविन्द पोसवाल उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुऐ।

1. श्री रूपाराम गरासिया सदस्य पंचायत समिति
2. श्री ताराचन्द भील सदस्य पंचायत समिति
3. सुश्री मालकी गरासिया सदस्य पंचायत समिति
4. श्री लक्ष्मण सुरेश क्षेत्रीय वन अधिकारी आबूरोड़
5. श्री मनहर विश्नोई विकास अधिकारी

बैठक में श्रीमान जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार नॉडल अधिकारी ओ.आई.सी. कलेक्ट्रेट की अध्यक्षता में बत्तीसा नाला परियोजना ग्राम देलदर तहसील आबूरोड़ हेतु वन विभाग की भूमि की एवज में राजस्व भूमि क्षतिपूर्ति के रूप में देने एवं परियोजना की प्रगति बाबत् जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की आयोजित बैठक दिनांक 22.07.2016 में दिये निर्देशों की पालना में इस उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक में सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड स्वरूपगंज द्वारा बताया गया कि उक्त परियोजना देलदर ग्राम के पास प्रस्तावित है। जिसमें देलदर, क्यारी, जायदरा व निचलागढ़ गांवों की कुल 158.020 हेक्टेयर भूमि डुब क्षेत्र में आयेगी। जिसमें 66.818 हेक्टेयर निजी खातेदारी/प्राईवेट आबादी भूमि/सरकारी बिलानाम तथा 91.202 हेक्टेयर वन विभाग की भूमि है। बत्तीसा नाला परियोजना से कुल 573.18 एमसीएफटी पानी का भराव होगा। जिससें सिंचाई व पेयजल रूप में लिया जायेगा।

1. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 20087 और संशोधित नियम 2012 अन्तर्गत प्रदत्त हक पत्रों का व्यक्ति वाईज विवरण जिनकी जमीन बत्तीसा नाला के डुब में आ रही वन भूमि के खसरो में हक पत्र जारी किये हुए है। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्र सं	नाम [redacted]	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल हैक्टर में	व्यक्ति का पुरा नाम जिन्हें हक–पत्र दिया गया है
1	देलदर	1171	1.011	लखमा / नोना
2		1171	0.278	पोचमी पत्नि पूना / चतरा
3	निचलागढ	141/1	0.5058	सामना / वाला ग्रासिया
4		22	0.1262	देवाराम / भारताजी ग्रासिया
5		106	0.5058	केवला / सोमाजी ग्रासिया
6		141/1	0.624	थावराराम / हराजी ग्रासिया
7		22	0.1262	कालूराम / कानाराम ग्रासियास
8	क्यारी	369	0.531	मनरा / भेरू ग्रासिया
9		369	0.5400	मनरा / भेरा

उक्त खसरों की विस्तृत मौका जॉच दिनांक 26.07.2016 को सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड सरूपगंज, क्षेत्रीय वन अधिकारी आबूरोड, हल्का पटवारी देलदर, जायदरा, निचलागढ, वनपाल देलदर के सयुक्त निरीक्षण में प्रस्तुत मौका निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरों मे आवंटित हक–पत्र वन विभाग की डुब में आने वाली भूमि से बाहर है। (रिपोर्ट संलग्न है)

क्यारी गांव में सबूरा / राजा नाम से खसरा नम्बर 247 जिसका क्षेत्रफल 0.63 रकबा है जो हक–पत्र से जारी है ग्राम सेवक एंव पटवारी रिपोर्ट अनुसार डुब क्षेत्र से बाहर भूमि बताई गई है।

2. उपखण्ड स्तरीय समिति के समक्ष विकास अधिकारी आबूरोड द्वारा ग्राम सेवक देलदर, निचलागढ, जायदरा की [redacted] अनुसार बताया कि उक्त बत्तीसा नाला परियोजना के अन्तर्गत डुब मे आने वाली वन भूमि के खसरे जिसकी सूची प्रस्तुत है मे वनाधिकार अन्तर्गत कोई पत्रावली हक–पत्र हेतु लम्बित नही है।

अतः सर्व सम्मति से उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा परियोजना आम–जन हेतु लाभकारी होने से बाद विचार विमर्श कर उक्त प्रस्तावित परियोजना की अनापत्ति जारी करने का निर्णय लिया गया।

(विकास अधिकारी)
पंचायत समिति आबूरोड

क्षेत्रीय वन अधिकारी
आबूरोड

(उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड
आबूरोड

पचायत समिति सदस्य
(रूपाराम गरासिया)

पंचायत समिति सदस्य
(ताराचन्द भील)

पचायत समिति सदस्य
सुश्री मालकी गरासिया

ANNEXURE - C

कार्यालय ग्राम पंचायत निचलागढ़

पंचायतसमिति आबूरोड,जिला सिरोही (राज.)

आज दिनांक 21.07.2016 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक संपन्न हुई इसमे दर्ज विवरण के अनुसार निम्नांकित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवम् अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता)अधिनियम2006 एवम् नियम 2008तथा संशोधित नियम 2012 की धारा3(1)व 3.2) के प्रावधानानुसार प्रभावित वन भूमि पर उक्तअधिनियम के प्रावधानों के तहत वन भूमि के अधीन कोई अधिकार पत्र जारी नही हुआ है,ना ही वर्तमान में कोई दावा लम्बितअथवा प्रकियाधीन है

क्र.स	तहसील का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	गॉव का नाम	खसरा नं.	कुल भूमि		अवाप्तकी जाने वालीभूमि		कारण
					बीघा	बिस्वा	बीघा	बिस्वा	
1	आबूरोड	निचलागढ	निचलागढ	19	78	9	32	2	डूब क्षेत्र
				22	64	1	28	9	डूब क्षेत्र
				44	2	13	2	2	डूब क्षेत्र
				106	63	19		17	डूब क्षेत्र
				141/2	61	9	40	6	डूब क्षेत्र
				योग			103	16	26 272हे

सरपंच ग्राम पचायत
निचलागढ (आबूरोड)

सचिव ग्राम पचायत
निचलागढ (आबूरोड)

क्षेत्रिय वन अधिकारी
आबूरोड

सहायक अभियन्ता
जल संसाधन उपखण्ड
[illegible]

कार्यालय ग्राम पंचायत [illegible] प स [illegible]

प्रस्ताव क्रमांक :... 06 ग्राम सभा दिनांक 21/07/2016

राज्य सरकार द्वारा बतीसा नाला लघु सिंचाई परियोजना [illegible] ग्राम के पास प्रस्तावित है। इस परियोजना से बांध व नहरों का निर्माण किया जायेगा। इस कार्य में ग्राम [illegible] के खसरा [illegible] 1/2 में स्थित वनभूमि परियोजना निर्माण में सिंचाई विभाग द्वारा 26.272 हेक्टेयर भूमि चाही गई है। वन विभाग की भूमि का प्रत्यावर्तन सिंचाई विभाग को किया जाना है।

बतीसा नाला लघु सिंचाई परियोजना निर्माण से सिंचाई व पीने के पानी की उपलब्धता रहेगी। जिससे जिले के क्षेत्रवासी लाभान्वित होंगे। इस वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवम अन्य परम्परागत वन निवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 की धारा (3(1) व 3(2)) के प्रावधान अनुसार प्रस्तावित वन भूमि पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत वन भूमि के कुल क्षेत्र में कोई मान्यता पत्र जारी नहीं हुआ है। ना ही वर्तमान में कोई दावा लंबित एवं प्रक्रियाधीन है। अतः प्रस्तावित वन भूमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव ग्रामवासियों के द्वारा सर्वसम्मति से पास कर प्रस्ताव पारित किया जाता है।

हरिनारायण

ग्राम सभा कार्यवाही दिनांक 7/7/2016

श्रीमान विकास अधिकारी पं.स. [illegible] के आदेश क्रमांक /प्रभारी ग्राम सभा/पंचायत [illegible] दिनांक 1/7/2016 के आदेशों की अनुपालना में ग्राम [illegible] को प्रातः 11 बजे ग्राम सभा का आयोजन सरपंच श्री [illegible] की अध्यक्षता में किया गया।

प्रस्ताव सं. (01) सर्वप्रथम गत ग्रामसभा की कार्यवाही को ग्राम सभा में पढ़कर सुनाया गया व सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव सं. (02) सर्वप्रथम [illegible] मद्देनजर हुए ग्राम सभा के सामने विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई। जिसमें, सीसी रोड निर्माण व रास्तों सम्बन्धी मुद्दों पर चर्चा की गई व विचार-विमर्श बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रास्तों को शीघ्र ही ठीक करवाया जावे। जिससे समस्या का समाधान [illegible]

प्रस्ताव सं. (03) ग्राम सभा में समाज कल्याण की योजनाओं जैसे पेंशन, पालनहार योजना, [illegible] योजना के बारे में किया [illegible]

किया गया।

प्रस्ताव सं. (04) विकास कार्यों के [illegible] प्रस्ताव ग्राम सभा के माध्यम से लिये [illegible] किया गया।

(1) सीसी रोड व चौक निर्माण कार्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, [illegible]

(2) सीसी रोड व चौक निर्माण कार्य [illegible] केन्द्र [illegible]

(3) [illegible] के घर से [illegible] के घर तक सीसी रोड

(5) [illegible] में रपट निर्माण कार्य [illegible]

(6) [illegible] निर्माण कार्य [illegible] केन्द्र की सीढ़ी की ओर [illegible]

(7) शौचालय निर्माण कार्य ग्राम पंचायत कार्यालय, [illegible]

प्रस्ताव सं. (05) [illegible] निर्देश दिये गये कि [illegible] के [illegible] करवाया जावे।

प्रस्ताव (06) ग्राम सभा में ग्राम [illegible] में राज्य सरकार द्वारा [illegible] नाला लघु सिंचाई परियोजना [illegible] में प्रस्तावित हो रहे परियोजना से बांध व नहर का निर्माण किया जायेगा।

मीठाराम
मोतीलाल
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
आसाराम
बाबू
बालाराम
धन्नाराम
सोनाराम
[illegible]
नानीबाई

इस कार्य में ग्राम मिल्लागाट के ख.स. 19, 22, 54, 106, 101/2 में स्थित वन भूमि, परियोजना निर्माण में सिंचाई विभाग द्वारा प्रत्यावर्तन सिंचाई विभाग को किया जाना है।
बजीसा नाला लघु सिंचाई परियोजना निर्माण से सिंचाई व पीने के पानी की उपलब्धता रहेगी। जिससे जिले के क्षेत्रवासी लाभान्वित होंगे।
उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 की धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधानानुसार प्रस्तावित वन भूमि पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत वन भूमि के डूब क्षेत्र में कोई अधिकार पत्र जारी नहीं हुआ है ना ही वर्तमान में कोई दावा लम्बित एवं प्रक्रियाधीन है। अतः प्रस्तावित वन भूमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव ग्रामवासियों के द्वारा सर्वसम्मति से पास कर प्रस्ताव पारित किया जाता है।

(हस्ताक्षर)

इस्माईल
पालजी
जोधाराम
धुमनदी
सवाराम
ठाकराराम
कल्याण
खिमाराम
शिवाराम
इस्माईल
धरमा
भैराराम

सरपंच
ग्राम पंचायत
मिल्लागाट
हस्ता. उपसरपंच

कार्यालय ग्राम पंचायत देलदर

पंचायतसमिति आबूरोड,जिला सिरोही (राज.)

आज दिनाक 25.05.2016 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक संपन्न हुई इसमे दर्ज विवरण के अनुसार निम्नाकित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवम् अन्य परम्परागत वन्वासी (अधिकारों की मान्यता)अधिनियम2006 एवम् नियम 2008तथा संशोधित नियम 2012 की धारा3(1)व 3(2) के प्रावधानानुसार प्रभावित वन भूमि पर उक्तअधिनियम के प्रावधानों के तहत वन भूमि के अधीन कोई अधिकार पत्र जारी नही हुआ हैं,ना ही वर्तमान में कोई दावा लम्बितअथवा प्रकियाधीन है

क्र.सं	तहसील का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	गॉव का नाम	खसरा नं.	कुल भूमि		अवाप्तकी जाने वालीभूमि		कारण
					बीघा	बिस्वा	बीघा	बिस्वा	
1	आबूरोड	देलदर	देलदर	1154	131	3	23	8	डूब क्षेत्र
				1157	1	10	-	8	डूब क्षेत्र
				1159	0	7	-	7	डूब क्षेत्र
				1162	2	1	2	1	डूब क्षेत्र
				1165	0	2	-	1	डूब क्षेत्र
				1166	0	13	-	13	डूब क्षेत्र
				1168	0	14	-	14	डूब क्षेत्र
				1170	6	1	2	6	डूब क्षेत्र
				1171	322	9	19	9	डूब क्षेत्र
				1169	12	10	1	1	डूब क्षेत्र
				योग			50	8	12.756है.

सरपंच ग्राम पंचायत देलदर (आबूरोड)	सचिव ग्राम पंचायत देलदर (आबूरोड)	क्षेत्रिय वन अधिकारी आबूरोड	सहायक अभियन्ता जल संसाधन, उपखण्ड स्वरुपगंज

कार्यालय, ग्राम पंचायत, देलदर

पंचायत समिति, आबूरोड – 307026 जिला सिरोही (राज.)

क्रमांक.................................. प्रस्ताव सं. 8 ग्राम सभा दिनांक दिनांक 25|4|2016

राज्य सरकार द्वारा बत्तीसा नाला लघु सिंचाई परियोजना देलदर ग्राम के पास प्रस्तावित है। इस परियोजना में बांध व नहरों का निर्माण किया जायेगा। इस कार्य मे ग्राम देलदर के खसरा नं. 1154, 1157, 1159, 1162, 1165, 1166, 1168, 1170, 1171, व 1169 मे स्थित वन भूमि परियोजना निर्माण में सिंचाई विभाग द्वारा 12.756 हेक्टर भूमि चाही गयी है। वन विभाग की भूमि का प्रत्यावर्तन सिंचाई विभाग को किया जाना है।

बत्तीसा नाला लघु सिंचाई परियोजना निर्माण से सिंचाई व पीने के पानी की उपलब्धता रहेगी। जिससे जिले के क्षेत्रवासी लाभान्वित होंगे। इस वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 की धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधानों अनुसार प्रभावित वन भूमि पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत वन भूमि के इस क्षेत्र मे कोई अधिकार पत्र जारी नहीं हुआ है ना ही वर्तमान में कोई दावा लम्बित एवं प्रक्रियाधीन है। अतः प्रभावित वन भूमि के प्रत्यावर्तन का ग्राम सभा के दिनांक 25|4|2016 के प्रस्ताव सं. 8 द्वारा पारित किया गया।

गीता

(2)

ग्राम पंचायत डेलदर

दिनांक:- 24/4/20..
राजश्री जोधपुर

ग्राम सभा कार्यवाही

आज दिनांक 24/4/2016 को श्रीमान विकास अधिकारी, पं. स. आबूरोड के आदेश क्रमांक/पसआ/सा./2016/28 दिनांक 11/4/2.. की अनुपालना में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 12.. जयन्ती में ग्राम उदय से भारत उदय अभियान दिनांक 14/4/2016 से 24/4/2016 के मध्य ग्राम पंचायत में चला.. गया इसी क्रम में आज ग्राम सभा का आयोजन किया ग.. जिसमे निम्नलिखित अधिकारी, कर्मचारीगण व ग्रामवासी उपस्थित

1.
2. जगदीश प्रजापति (J.T.A) पं.स. आबूरोड — जगदीश प्रजापति
3. ढोंगाराम चौहान रा.उ.मा.वि. टूंका (डेलदर) — ढोंगाराम
4. रमेश कुमार रा.प्रा.वि. किरूका (डेलदर) — रमेश
5. आशा सहयोगिनी टूंका — [illegible]
6. आशा सहयोगिनी डेलदर — [illegible]
7. विनोद कुमार रा.प्रा.वि. धोराफली डेलदर BLO बूथ 169 अध्यापक — [illegible]
8. कुन्दन सिंह वनपाल नाका डेलदर — [illegible]
9. रखताविर रणावत
10
11.
12
13
14. मोहन बोरट उपसरपंच डेलदर — मोहन [illegible]
15.

अगदाराम [illegible]

राजश्री जोधपुर

ओटकी

मंजु

राजश्री जोधपुर

उपस्थिति

कोरम पूर्ण होने पर ग्राम सभा कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। सर्वप्रथम गत बैठक की कार्यवाही पढ़ कर सुनायी गयी तथा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्राप्त किया।

प्रस्ताव क्र.1 स्वच्छता कार्यक्रम — सभी रोज उपस्थित ग्रामवासियों को जानकारी दी गयी कि सरकार द्वारा शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि 12000/- दी जा रही है। सभी ग्रामवासी अपने-अपने घरों में शौचालय निर्माण हेतु स्वीकृति निकलवा कर शौचालय निर्माण करावें व खुले में शौच जाना बंद करें तथा ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त करावें। इस हेतु ग्रामवासियों को खुले में शौच से मुक्त करवाने हेतु शपथ भी दिलायी गयी।

प्रस्ताव क्र.2 महानरेगा — उपस्थित ग्रामवासियों को महानरेगा में स्वीकृत कार्यों की जानकारी दी गयी तथा कार्यों पर लगने हेतु अधिक से अधिक संख्या में आवेदन करने को कहा गया।

प्रस्ताव क्र.3 MJSY — उपस्थित ग्रामवासियों को MJSY में स्वीकृत कार्य नोपा/नरमा नाडी मरम्मत कार्य की जानकारी दी गयी तथा सरकार की मंशा बतायी गयी कि सरकार मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के माध्यम से पानी रोककर ग्राम का विकास करना चाहती है।

प्रस्ताव क्र.4 महिला सशक्तिकरण — उपस्थित ग्रामवासियों को जानकारी दी गयी कि महिला सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा महिलाओं हेतु आरक्षण भी किया गया है तथा भामाशाह कार्ड के माध्यम से महिलाओं के खाते में ही सरकारी राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है।

प्रस्ताव क्र.5 आम रोज कोरम के समक्ष ग्राम पंचायतों को चौदहवें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार जानकारी दी गयी।

राजश्री जोधपुर

माध्यम से योजनाओं के हस्तान्तरित किये गये कामों का प्रथम प्रशासनिक प्रतिवेदन (वर्ष 2015-16) में कुल पृष्ठों की सं. 1 से 23 तक है। जिसे आज दिनांक आवश्यक को ग्राम सभा में प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव सं. 7 आज रोज कोरम के समक्ष प्रधान मंत्री आवास योजना के लाभ देने हेतु SECC 2011 की सूची ग्राम सभा में पढ़कर सुनाई गयी —

सामान्य

(1)	बादलकुंवर W/o बख्तसिंह	पक्का मकान
(2)	फूलकंवर W/o रूपसिंह	— " —
(3)	गणपतसिंह S/o मोतीसिंह	— " —
(4)	पंकज S/o जयन्तिलाल	— " —
(5)	रेशनकुंवर W/o लक्ष्मणसिंह	पूर्व में निर्मित
(6)	सुमित्रादेवी W/o धनराज	पक्का मकान
(7)	ध्यारमीदेवी W/o लालाजी	— " —
(8)	मफतलाल S/o कपूराजी	— " —
(9)	बलवन्तसिंह S/o शिवसिंह	पूर्व में निर्मित

गायत्री

गीता
डा...

SC

1	वीरराम / प्रभाराम मेघ.	
2.	हीराराम / गोरखाराम "	
3	भीखा / कूरा जोगी	
4	मवा / भीखाराम जोगी	
5.	चुन्नीलाल / फताजी मेघ.	पूर्व में निर्मित
6	दुदाराम / अचलाजी मेघ.	— " —
7.	डाया / नथाजी "	— " —
8	बदा / अमरा "	सरकारी कर्मचारी
9.	लाला / पदमा "	पूर्व में निर्मित
10	टेका / चमना "	पक्का मकान
11	शारदा / भीखा "	— " —
12	वना / चमना "	

213. साधु / मेघाराम
214. लाडु / पोगता
215. कमला / चुनाजी
216. गेली / प्रानाजी
217. पुनो / पुफोजी
218. शांति / भेगाजी
219. सन्तोष / सवाराम
220. लालू / कालाराम
221. लक्ष्मी / जगाजी
222. राजा / नीरमा
223. रामा / वीरमा
224. आलाराम / कमलाजी
225. नापु / सावता
226. लक्ष्मण / गोला
227. नाथकी / लवाराम
228. ओखा / केलाराम
229. गाता / चोलाजी
230. भारता / नुवाजी
231. पाबूराम / रवेता
232. बीला / गीलोजी
233. दूला / सोगाजी
234. दुधाराम / कागजाजी
235. सालीरा / नथाजी
226. नरसी / फूलाराम
227. रमेशा / कदाराम
228. कालाराम / लक्ष्मणराम
229. सायरा / फूलाजी
230. लालबाई / केशाराम
231. देवा / ओमाजी
232. लगिना / भारताजी
233. ओम्या / नथाराम

236. नाना / [illegible]
237. लाडु / लालजी
238. देला / कोजाजी
239. ओखा / [illegible]
240. रूपा / देवाजी
241. ओखाराम / गोमाजी
242. पुनी / ओमाजी
243. सुखा / नाथु
244. भिखाराम / [illegible]
245. प्रेमराज / हराजी
246. गायरी / लेखाजी

प्रस्ताव सं 8 आज रोजगार सभा के ग्राम केलन्दर के खसरा नं. 1154, 1151, 1159, 1162, 1165, 1166, 1168, 1170, 1171 व 1167 में स्थित वन कुड़ि परियोजना निर्माण को मंजूरी [illegible]

राजश्री जोधपुर

15 दिसम्बर प्रति व्यक्ति से फ्यावर्तन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
प्रस्ताव सं. 6 आज ग्राम कोरम के निम्नलिखित विकास के कार्य सर्वसम्मति से पारित किये गये -
1) मुख्य सड़क से हनुमानजी मंदिर तक सी.सी. सड़क निर्माण - डेलदा
2) हनुमानजी मंदिर से स्कूल तक सी.सी. सड़क निर्माण - डेलदा
3) मालजी/नवा के घर से कालु/रामा के घर तक एन. रोड - डेलदा
4) कालु/रामा के घर से मालजी/नवा के घर तक एन. रोड - डेलदा
5) पुरी नाडी का ओवरफ्लो ऊपर उठाना - डेलदा
6)

अंत में बैठक कार्यवाही पढ़ कर सुनायी गयी तथा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्राप्त करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

ग्रा.पं. डेलदा

गीता

नानाराम

कार्यालय ग्राम पंचायत जायदरा

5-7-2016 पंचायतसमिति आबूरोड,जिला सिरोही (राज.)

आज दिनांक 05.07.2016 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक संपन्न हुई इसमे दर्ज विवरण के अनुसार निम्नांकित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवम् अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता)अधिनियम2006 एवम् नियम 2008तथा संशोधित नियम 2012 की धारा3(1)व 3(2) के प्रावधानानुसार प्रभावित वन भूमि पर उक्तअधिनियम के प्रावधानों के तहत वन भूमि के अधीन कोई अधिकार पत्र जारी नही हुआ हैं,ना ही वर्तमान में कोई दावा लम्बितअथवा प्रकियाधीन हैं

क्रं.सं	तहसील का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	गॉव का नाम	खसरा नं.	कुल भूमि		अवाप्तकी जाने वालीभूमि		कारण
					बीघा	बिस्वा	बीघा	बिस्वा	
1	आबूरोड	जायदरा	जायदरा	434	0	15	0	15	डूब क्षेत्र
				योग			0	15	0.19है.
	आबूरोड	जायदरा	क्यारी	401/4	837	19	86	18	डूब क्षेत्र
				12	0	9	0	9	डूब क्षेत्र
				14	1	10	1	10	डूब क्षेत्र
				16	0	9	0	9	डूब क्षेत्र
				19	2	15	2	15	डूब क्षेत्र
				21	0	4	0	4	डूब क्षेत्र
				25	1	1	1	1	डूब क्षेत्र
				26	0	14	0	14	डूब क्षेत्र
				27	29	0	29	0	डूब क्षेत्र
				28	1	1	1	1	डूब क्षेत्र
				29	0	8	0	8	डूब क्षेत्र
				30	1	4	1	4	डूब क्षेत्र
				32	397	0	32	3	डूब क्षेत्र
				35	533	3	3	19	डूब क्षेत्र
				36	1	10	1	10	डूब क्षेत्र
				46	5	7	5	7	डूब क्षेत्र
				48	0	7	0	7	डूब क्षेत्र
				127	3	7	3	7	डूब क्षेत्र
				167	0	7	0	7	डूब क्षेत्र
				200	197	9	22	9	डूब क्षेत्र
				243	0	10	0	10	डूब क्षेत्र
				246	0	4	0	4	डूब क्षेत्र
				247	40	11	4	8	डूब क्षेत्र
				250	2	5	1	11	डूब क्षेत्र
				328	1	0	1	0	डूब क्षेत्र
				355	2	0	2	0	डूब क्षेत्र
				356	1	8	0	1	डूब क्षेत्र
				368	0	1	0	1	डूब क्षेत्र
				369	13	5	0	12	डूब क्षेत्र
				योग			205	9	51 984 है.

सरपंच ग्राम पंचायत जायदरा (आबूरोड़)

सचिव ग्राम पंचायत जायदरा (आबूरोड़)

क्षेत्रिय वन अधिकारी आबूरोड़

सहायक अभियन्ता जल संसाधन, उपखण्ड स्वरुपगंज

कार्यालय ग्राम पंचायत -जायदरा

पंचायत समिति, आबूरोड़-307026, सिरोही

क्रमांक/2016 दिनांक 05-07-2016

प्रस्ताव सं. :- 09

राज्य सरकार द्वारा बत्तीसा नाला लघु सिंचाई परियोजना
देलवाड़ा ग्राम के पास प्रस्तावित है। इस परियोजना में बाँध
नहरों का निर्माण किया जावेगा। इस कार्य में ग्राम जायदरा के व
ग्राम क्यारिया के खसरा नं. 12, 14, 16, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 32, 35, 36, 46, 48, 127, 167, 200, 243, 246, 247,
250, 328, 355, 356, 368, 369, हे. 51.984।

जायदरा खसरा नं. 434 – 0.19 हे. ग्राम सभा में अनुमोदन
किया गया। में स्थित वन भूमि परियोजना निर्माण में सिंचाई विभाग
द्वारा 12-756 भूमि चाही गई है वन विभाग की भूमि का
प्रत्यावर्तन सिंचाई विभाग को किया जाना है।
बत्तीसा नाला लघु सिंचाई परियोजना निर्माण से सिंचाई व पीने
के पानी की उपलब्धता रहेगी। जिससे जिले के लोग लाभान्वित
होंगे। इस वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत
वन वासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008
तथा संशोधित नियम 2012 की धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधानों
के तहत प्रभावित वन भूमि पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत
वन भूमि के इस क्षेत्र में कोई अधिकार पत्र जारी नहीं हुआ है तथा
वर्तमान में कोई दावा लम्बित एवं प्रक्रिया में नहीं है। अतः प्रभावित वन भूमि
के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव ग्रामवासियों के द्वारा सर्वसम्मति से पास कर
प्रस्ताव पारित किया जाता है।

सरपंच
ग्राम पं. जायदरा
पं. समिति, आबूरोड़

आज दिनांक 05-7-2016 को श्रीमती सबली बाई उपसरपंच की अध्यक्षता में भारत निर्माण राजीव अटल सेवा केन्द्र में पंचायत बैठक का आयोजन किया जा रहा है बैठक में निम्न प्रस्ताव पारित किये जायेगा/

प्रस्ताव सं० 01 ग्राम पंचायत जायदा में रतनावेरी नाले पर स्टाप डेम का कार्य पूर्ण हो चुका है बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया/

प्रस्ताव सं० 02 ग्राम पंचायत जायदा में राजकीय मा० वि० स्कूल में तीन कमरा जर्जर हो रहे/ उन कमरों को 1 सितम्बर, मरम्मत की आवश्यकता है पंचायत बैठक में प्रस्ताव रखा गया/

प्रस्ताव सं० 3 ग्राम जामली में रा० वि० स्कूल में 2 कमरा जर्जर हो रहे हैं, जिसकी ग्राम पंचायत में शिकायत पेश हुई/ उस बाबत निर्माण का प्रस्ताव रखा गया/

प्रस्ताव सं० 04 ग्राम पं० जायदा में (1) माताजी के स्थान पर हैण्डपम्प रिपेयरिंग किया गया/
(2) हैण्डपम्प ... के घर के पास रिपेयरिंग किया गया
(3) ... के घर के पास हैण्डपम्प रिपेयरिंग किया गया/
(4) ... के घर के पास हैण्डपम्प ... रिपेयरिंग किया गया/
(5) ... के घर के पास हैण्डपम्प रिपेयरिंग किया गया/
(6) जगा / ... के घर के पास — // — //

प्रस्ताव सं० 5 ग्राम जायदा में दि० 2-7-20.. को हैण्डपम्प ... (1) ... के घर के पास पाईप लाईन डाला गया/

प्रस्ताव 06 ग्राम जायदा में ... के घर के पास रपट ... का कार्य करवाया जावे / पंचायत व बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया/

प्रस्ताव सं० 7 ग्राम पंचायत जायदरा के जागा (स्थान) के छूट के पास रपट निर्माण का कार्य करवाया जावे। पंचायत बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव सं० 8 ग्राम पंचायत जायदरा के राजकीय मा० वि० स्कूल में शौचालय निर्माण का कार्य करवाया जावे। पंचायत बैठक में प्रस्ताव रखा गया।

प्रस्ताव सं० 9 राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही [illegible] योजना [illegible] ग्राम के पात्र प्रस्तावित [illegible] इस योजना के बाबत [illegible] ग्राम जायदरा के तथा [illegible] खसरा नम्बर 12, 14, 16, 17, 21, 25, 26, 27-28, 29, 30, 32-35, 36, 46-48, 127, 167, 200, 243, 246, 247, 250, 338, 355, 356, 368, 369, व 151-384 जायदरा खसरा नं. 434 [illegible] है।

सरपंच

ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत – जायदरा

सविता

उप सरपंच
ग्राम पंचायत जायदरा
पंचायत समिति आबूरोड

Lalit
U.R.S

फुली मालण कैलाश

आशा [illegible] वार्ड नं. 08 वार्ड [illegible] शान्ती

उमाराम